**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2295**

**15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए**

**छत्तीसगढ़ में मंत्रालय की रक्षा भूमि**

**2295. श्री संतोष पान्डेय :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में मंत्रालय की रक्षा भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है ;
(ख) उक्त भूमि का जिला/ब्लॉक/क्षेत्र-वार (रकबा-वार) ब्यौरा क्या है ;
(ग) उक्त भूमि के उपयोग का उद्देश्य क्या है ;
(घ) क्या रक्षा भूमियों को किसी अन्य संस्थानों/संगठनों/एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)**

(क) और (ख): छत्तीसगढ़ राज्य में रक्षा भूमि का कुल क्षेत्रफल 2723.9286 एकड़ है । जिला-वार ब्यौरा निम्नवत है :-

| **क्र.सं.** | **जिला** | **क्षेत्रफल (एकड़ में)** |
|---|---|---|
| 1. | बिलासपुर | 1485.115 |
| 2. | रायपुर | 112.4146 |
| 3. | बस्तर | 1126.252 |
| 4. | जशपुर | 0.147 |
| | कुल | 2723.9286 |

(ग): रक्षा भूमि, रक्षा बलों और संगठनों के भावी उपयोग सहित परिचालन एवं कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए होती हैं । तथापि, बिलासपुर जिले के चकरभाटा में रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं से अधिक 1012.48 एकड़ रक्षा भूमि है और उसे लागत आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को प्रदान की गई है ।

(घ): और (ड.): जी, हां । दिनांक 01.01.2021 से छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान दो मामलों में सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि प्रदान की गई है जैसा कि नीचे उल्लिखित है :-

(i) बिलासपुर (चक्रभाटा) हवाई अड्डे की विस्तार के लिए समान मूल्य भूमि (ईवीएल) के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 1.59 एकड़ रक्षा भूमि पर कार्य करने की अनुमति दी गई है ।

(ii) नकद मुआवजा आधार पर 2560 वर्गमीटर रक्षा भूमि के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है ।

*****